संख्या-4/वे0आ0-2-941/दस-2014-8(मु0स0स0)/2011

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
वित्त् (सेवाएं) अनुभाग-1
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 18 दिसम्बर, 2014

विषय:- वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में लाटरी निदेशालय के कर्मियों का समायोजन राष्ट्रीय बचत निदेशालय में किए जाने में व्यावहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत लाटरी निदेशालय के कर्मियों का राष्ट्रीय बचत निदेशालय के स्थान पर आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय में समायोजन हेतु लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग-6) में वित्त विभाग के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य लाटरी निदेशालय की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-2028/दस-45(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 28 नवम्बर, 2011 के प्रस्तर-1 के उप प्रस्तर- 3 में उपलब्ध निर्णय के कार्यान्वयन में व्यावहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत तथा लाटरी निदेशालय के अनुपयोगी स्टाफ के बेहतर प्रयोग हेतु लाटरी निदेशालय के कार्मिकों को आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय में समायोजित किये जाने हेतु निम्न व्यवस्था किये जाने का निर्णय लिया गया है :--

(1) लाटरी निदेशालय में वर्तमान में कार्यरत 31 कर्मियों के समायोजन/संविलियन की स्थिति में वरिष्ठता का निर्धारण शासनादेश संख्या-49/1/65-नियुक्ति(ख), दिनांक 25 सितम्बर, 1968 के अनुसार किए जाने के सम्बन्ध में दी गयी सहमति से सम्बन्धित निदेशक, उत्तर प्रदेश लाटरी निदेशालय के पत्र दिनांक 21 मई, 2014 के दृष्टिगत उक्त कर्मियों की तैनाती कर समायोजन आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय में पद सहित किया जाय और उनकी वरिष्ठता का निर्धारण शासनादेश दिनांक 25 सितम्बर, 1968 द्वारा किए जाने के उपरान्त लाटरी निदेशालय से इन कर्मचारियों के लियन को नियमानुसार समाप्त किया जाए।

(2) लाटरी निदेशालय के जो कर्मी पूर्व से सेवा स्थानान्तरण के आधार पर अन्यत्र तैनात हैं उनको अभी वहीं तैनात रहने दिया जाए क्योंकि अभी उनके द्वारा शासनादेश दिनांक 25 सितम्बर, 1968 के अनुसार आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय में समायोजन किए जाने पर वरिष्ठता निर्धारित करने हेतु सहमति नहीं दी गयी है। उपर्युक्त उप प्रस्तर-1 पर अनुमोदन

http://shrisamadesh.up.nic.in

की स्थिति में सेवा स्थानान्तरण पर तैनात 24 कर्मचारियो से भी आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय में समायोजन करने के लिए उनकी वरिष्ठता शासनादेश दिनांक 25 सितम्बर, 1968 के अनुसार निर्धारित किए जाने हेतु उनकी सहमति/असहमति प्राप्त करने के उपरान्त संस्तुति संख्या-1 को प्रभावी बनाया जायेगा जिससे भविष्य में लाटरी निदेशालय के कर्मियों में आपस में वरिष्ठता का विवाद उत्पन्न न हो ।

(3) लाटरी निदेशालय के रिक्त पदों को आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय में स्थानान्तरित न किया जाए बल्कि उनके द्वारा आवश्यकतानुसार परीक्षणोंपरान्त पद सृजित कराये जाएं तथा लाटरी निदेशालय के रिक्त पदों को नियमानुसार समाप्त किए जाने पर विचार किया जाए क्योंकि आन्तरिक लेखा परीक्षा में भिन्न पदनाम के पदों की आवश्यकता हो सकती है।

(4) लाटरी निदेशालय में वर्तमान में तैनात 31 कर्मियों के आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय में समायोजित होने के उपरान्त लाटरी निदेशालय के बचे हुए कार्यों हेतु यह व्यवस्था की जाए कि उन कार्यों का निस्तारण आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय द्वारा किया जाए और निदेशक आन्तरिक लेखा परीक्षा पदेन निदेशक, लाटरी निदेशालय भी हों।

2- कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-वे0आ0-2-941(1)/दस-2014-8(मु0स0स0)/2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

2- कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

3- निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु ।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी
उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in